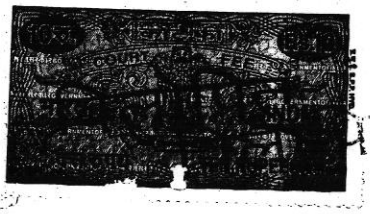

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0 क0 एक / विविध / छतरपुर / भूरा. / 2018

विविध– 2626/2018/छतरपुर/भूरा

श्री .... द्वारा आज दि. 28/4/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 28-4-18

28/4/18

भगवानदास पिता सरमन कलार
निवासी ग्राम ककरदा तहसील व
जिला छतरपुर म0प्र0

––आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय छतरपुर

––– अनावेदक

विविध आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत आवेदक के पक्ष में नायब तहसीलदार तहसील व जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.1991 के तारतम्य में रिकार्ड / खसरा में पृविष्टि कराने की स्वीकृति वाबत।

माननीय महोदय,

आवेदक का निवेदन निम्न प्रकार है:–

1– यह कि प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक को ग्राम ककरदा खसरा नंबर 455 / 1 रकवा 1.809 है0 लगानी 10.00 रूपये मात्र का आवेदक को भूमि स्वामी हक नामांतरण पंजी कमांक 25 में नायब तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.2.91 से प्रदत्त किये गये थे, लेकिन

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति ....
पृष्ठ क्र. 01 से 06
दिनांक 28/4/18
हस्ताक्षर व नाम ....

X(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - विविध-2626/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण संहिता की धारा-32 के तहत प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 24.02.1991 के तारतम्य में खसरा में पृविष्ठि कराने का निवेदन किया गया है। वर्ष 1991 से आज दिनांक तक खसरे में पृविष्टि क्यों नहीं कराई गई, इसके संबंध में भी आवेदक अधिवक्ता कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण स्पष्ट नहीं कर सके हैं। इस न्यायालय में धारा-32 के तहत सुनवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। आवेदक अधिवक्ता सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। **प्रशासकीय सदस्य**	